

संख्या ३।एस २-१११/७१-नि०—३१३३

बिहार सरकार

नियुक्ति विभाग

प्रेषक

श्री ठाकुर प्रसाद,  
सरकार के उप सचिव,

सेवा में

सभी विभाग के सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी जिला पदाधिकारी

३ फाल्गुन १८६३ (श०)

पटना-१५, दिनांक—

२२ फरवरी १९७२

विषय—सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षण (रिजर्वेशन) कालावधि का निर्धारण।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संकल्प संख्या ६२७७-नि०, दिनांक २६ मई, १९७१ की कंडिका ४ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि सरकारी सेवा की किसी कोटि के पद पर प्रोन्नति के लिए उससे ठीक निम्नस्तर कोटि के पद में कालावधि निर्धारण के सम्बन्ध में कुछ विभागों से प्राप्त अनुज्ञांसा के आधार पर सरकार ने निम्न-लिखित निर्णय लिया है :—

(१) नियुक्ति विभाग के प्रशासी नियन्त्रण के अधीन सेवा—

पद	उच्चतर पद	प्रोन्नति के लिए सेवा अवधि
(क) अवर उप-समाहर्ता (२९०—६५०)	उप-समाहर्ता (३२५—९८५)	६ वर्ष
(ख) उप-समाहर्ता (३२५—९८५) ....	उप-समाहर्ता, कनीय प्रवर-कोटि (४५०—१,१६०)	५ वर्ष
(ग) उप-समाहर्ता (कनीय प्रवर-कोटि)	उप-समाहर्ता (वरीय प्रवर-कोटि) (९००—१,४००)	८ वर्ष

(२) संगठन एवं पद्धति प्रशाखा :—

(सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय)

(क) निम्नवर्गीय सहायक (१३५—२३५)	उच्चवर्गीय सहायक (२००—३८०)	८ वर्ष
(ख) उच्चवर्गीय सहायक (२००—३८०)	प्रशाखा पदाधिकारी (२९०—६५०)	१० वर्ष
(ग) प्रशाखा पदाधिकारी (२९०—६५०)	निबंधक (३००—७५०)	

(घ) आधुनिकिक श्रेणी-२  
(१६०—२८०)आधुनिकिक श्रेणी-१  
(२३०—४१९)

जो सबसे सुयोग्य व्यक्ति पाये जायें उन्हींको वरीयता का हवाल रखते हुए प्रोन्नति दी जाय। विहित परीक्षा पास करने के तुरत बाद सुरक्षित स्थानों पर बहाली की जाय।

पद	उच्चतर पद	प्रोन्नति के लिए सेवा अवधि
(च) टंकक वर्ग-२ (१२०—२००)	टंकक वर्ग-१ (१६०—२६०)	५ वर्ष
(छ) टंकक वर्ग-१ (१६०—२६०)	प्रधान टंकक (२६०—३६०)	७ वर्ष
(ज) दिनचर्यालिपिक (१०५—१५५)	प्रवर कोटि दिनचर्यालिपिक (१५०—२००)	५ वर्ष
(झ) दिनचर्यालिपिक (दोनों संवर्गों के)	निम्नवर्गीय सहायक (१३५—२३५)	निम्नवर्गीय परीक्षा पास करने के तुरत बाद सुरक्षित स्थानों पर बहाली की जाय।
(ट) आदेशपाल (७०—६०)	जमादार आदेशपाल (७५—८५)	५ वर्ष
(३) खनन एवं भूतत्व विभाग के प्रशासी नियन्त्रण के अधीन सेवा।		
(क) उप-निदेशक (भूतत्व)	वरीय परामर्शी (भूतत्व)	८ वर्ष
(ख) वरीय भूतत्ववेत्ता	उप-निदेशक (भूतत्व)	१० वर्ष
(ग) भूतत्ववेत्ता	वरीय भूतत्ववेत्ता	८ वर्ष
(घ) सहायक खनन पदाधिकारी	जिला खनन पदाधिकारी	८ वर्ष
(च) जिला खनन पदाधिकारी	उप-निदेशक (खान)	१० वर्ष
(छ) उप-निदेशक (खान)	निदेशक (खान)	८ वर्ष
(४) कल्याण विभाग के प्रशासी नियन्त्रण के अधीन सेवा।		
(क) प्रेममोला सेवक	कल्याण निरीक्षक	५ वर्ष
(ख) कल्याण निरीक्षक	सहायक कल्याण पदाधिकारी	५ वर्ष
(ग) सहायक कल्याण पदाधिकारी	अनुमंडल पदाधिकारी	८ वर्ष
(५) मंत्रिमंडल (राजभाषा) सचिवालय के प्रशासी नियन्त्रण के अधीन सेवा।		
(क) सहायक अनुवादक श्रेणी-३ (२००—४००)	सहायक अनुवादक श्रेणी-२ (१६०—२५०)	७ वर्ष
(ख) सहायक अनुवादक श्रेणी-२ (२५०—५५०)	अनुवाद पदाधिकारी (२९०—६५०)	८ वर्ष
(ग) अनुवाद पदाधिकारी (२९०—६५०)	सहायक निदेशक (३००—७५०)	५ वर्ष
(घ) सहायक निदेशक (३००—७५०)	उप-निदेशक (४४५—९२५)	५ वर्ष
(च) उप-निदेशक (४४५—९२५)	निदेशक (४५०—९२५)	५ वर्ष
(छ) शब्दावली सहायक (२५०—५५०)	प्रशाखा पदाधिकारी (शब्दावली) (२९०—६५०)	१० वर्ष
(६) जेनरल		
बराजपत्रित पदाधिकारी (२३०—४५०) और समकक्ष (वेतनमान)।	राजपत्रित पदाधिकारी (२९०—६५०)	६ वर्ष

२. इस सम्बन्ध में आपका ध्यान मुख्य सचिव के अर्डर-सरकारी पत्र संख्या १६५४-नि०, दिनांक २० फरवरी, १९७२ की ओर आकृष्ट करते हुए अनुरोध करना है कि उक्त पत्र में दिए गए आदेशानुसार जिन विभागों से कालावधि निर्धारण की अनुसंसा अभी तक नहीं भेजी गई है, अविनम्व भेजने की कृपा करें।

विश्वामाजान,  
ठाकुर प्रसाद,  
सरकार के उप-सचिव।

पत्र संख्या ३/एस-२-१११/७१-नि०५९९३ ।  
बिहार सरकार  
कार्यक विभाग ।

प्रेषक

श्री ठाकुर प्रसाद,  
सरकार के मुख्य सचिव,

सेवा में

सभी विभाग के सचिव

सभी विभागाध्यक्ष ।

सभी जिला पदाधिकारी

२५ चैत, १९९४ (स०);  
पटना-१५, दिनांक \_\_\_\_\_ ।  
६ अप्रील, १९७२

विषय—सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण (रिजर्वेशन) कालावधि का निर्धारण ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संकल्प संख्या ६२७७-नि०, दिनांक २६ मई, १९७१ की कंडिका ४ तथा पत्र सं० ३३३३-नि, दिनांक २२ फरवरी, १९७२ की ओर आपका ध्यान अकृष्ट करते हुए कहना है कि सरकारी सेवा की किसी कोटि के पद पर प्रोन्नति के लिए उससे ठीक निम्नतर कोटि के पद में कालावधि निर्धारण के सम्बन्ध में कुल और विभागों से प्राप्त अनुसंसा के बाधार पर सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :—

(१) लोक निर्माण विभाग के प्रशासी नियन्त्रण के अधीन सेवा—

पद	उच्चतर पद	प्रोन्नति के लिये सेवा अवधि
(क) अधिदर्शक के सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के लिए :—		
(१) ऐसे अधिदर्शक जिन्होंने ए० एम० आई० की योग्यता प्राप्त कर ली है	...	५ वर्ष
(२) ऐसे अधिदर्शक जिन्होंने ए० एम० आई० की योग्यता हासिल नहीं की है ।	....	८ वर्ष
(ख) अभियन्ता सहायक	... सहायक अभियन्ता	... ५ वर्ष
(ग) सहायक अभियन्ता	... कार्यपालक अभियन्ता	... ८ वर्ष
(घ) कार्यपालक अभियन्ता	... अधीक्षण अभियन्ता	... ७ वर्ष
(ङ) अधीक्षण अभियन्ता	... अपरमुख्य अभियन्ता	... ५ वर्ष
(च) अपर मुख्य अभियन्ता की कोटि में ३ वर्ष का अनुभव प्राप्त कर लेने के पश्चात् पदाधिकारी को मुख्य अभियन्ता के पद पर वदस्थापित किया जा सकता है ।		

२. उद्योग एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के किसी कोटि में प्रोन्नति के लिए उससे ठीक निम्नतर की कोटि के पद में कम-से-कम ८ (आठ) वर्षों की सेवा आवश्यक मानी जाए ।

३. इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि जिन विभागों से कालावधि निर्धारण की अनुसंसा अभी तक नहीं भेजी गयी है, अवि-  
लम्ब भेजने की कृपा करें ।

विश्वासभाजन,  
ठाकुर प्रसाद,  
सरकार के उप सचिव ।

पत्र संख्या ३/एस २-१११/७१—८१९१-का० ।

बिहार सरकार  
कर्मिक विभाग

प्रेषक

श्री ठाकुर प्रसाद,  
सरकार के सचिव ।

सेवा में

सभी विभाग के सचिव,  
सभी विभागाध्यक्ष,  
सभी जिला पदाधिकारी।

२३ वैशाख १९९४ (श०)  
पटन.-१५, दिनांक १३ मई १९७२

विषय :—सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा नये जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षण (रिजर्वेशन) कालापत्र का निर्धारण ।

महोदय,

(१) वित्त (वाणिज्य-कर) विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा—

पद ।	उच्चतर पद ।	प्रोन्नति के लिए सेवावधि ।
१। वित्त सेवा (कनीय शाखा) (२९००-६५०) ।	वित्त सेवा (वरीय शाखा) (३२५-९२५) ।	६ वर्ष
२। वरीय शाखा (३२५-९२५) ।	महावक आयुक्त (४५०-१,१६०) ।	६ वर्ष
३। सहायक आयुक्त (४५०-१,१६०) ।	उपायुक्त (९००-१,४००) ।	४ वर्ष
४। उपायुक्त (९००-१,४००) ।	संयुक्त आयुक्त (१,२००-१,७००) ।	४ वर्ष

## (२) योजना (सांख्यिकी एवं मूल्यांकन) विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा—

पद ।	उच्चतर पद ।	प्रोन्नति के लिए सेवावधि ।
१। प्रवेशिकोत्तीर्ण अमीन (८५—१००)।	कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक (१०५—१५५)।	८ वर्ष
२। कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक (१०५—१५५)।	संकलक (१२०—२२५)।	८ वर्ष
३। संकलक (१२०—२२५)।	कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक (१६०—२६०)।	८ वर्ष
४। कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक (१६०—२६०)।	कनीय सांख्यिकी सहायक (२००—३५०)।	१० वर्ष
५। कनीय सांख्यिकी सहायक (२००—३५०)।	सांख्यिकी पर्यवेक्षक (२३०—४५०)।	८ वर्ष
६। सांख्यिकी पर्यवेक्षक (२३०—४५०)।	सांख्यिकी पदाधिकारी/ जिला सांख्यिकी पदाधिकारी (२६०—६५०)।	८ वर्ष
७। सांख्यिकी पदाधिकारी/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।	सहायक निदेशक (१२५—१२५)।	८ वर्ष
८। सहायक निदेशक (३२५—१२५)।	उप-निदेशक (४५०—१,२५०)।	८ वर्ष
९। उप-निदेशक (४५०—१,२५०)।	संयुक्त निदेशक (९००—१,५००)।	६ वर्ष

## (३) उत्पाद विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा—

पद ।	उच्चतर पद ।	प्रोन्नति के लिए सेवावधि ।
१। उत्पाद निरीक्षक	अधीक्षक, उत्पाद	७ वर्ष
२। उत्पाद अवर-निरीक्षक	उत्पाद निरीक्षक	१० वर्ष
३। उत्पाद सहायक अवर-निरीक्षक	उत्पाद अवर-निरीक्षक	१० वर्ष
४। उत्पाद सिपाही	उत्पाद सहायक अवर-निरीक्षक	१० वर्ष
५। उत्पाद लिपिक	उच्चवर्गीय उत्पाद लिपिक	७ वर्ष
६। उत्पाद उच्चवर्गीय लिपिक	प्रधान लिपिक	७ वर्ष

नोट—अधीक्षक, उत्पाद से सहायक आयुक्त, उत्पाद तथा सहायक आयुक्त, उत्पाद से उपायुक्त, उत्पाद के पद पर प्रोन्नति के लिए सेवावधि निर्धारण का प्रश्न विचाराधीन है।

## (४) भू-संरक्षण निदेशालय के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा—

पद ।	उच्चतर पद ।	प्रोन्नति के लिए सेवावधि ।
१। निम्नवर्गीय लिपिक (१०५—१५५)।	उच्चवर्गीय लिपिक (१५०—२००)।	८ वर्ष
२। उच्चवर्गीय लिपिक (१५०—२००)।	प्रधान लिपिक (२००—३००)।	१० वर्ष
३। कनीय सर्वेयर	वरीय सर्वेयर (१६०—२८०)	५ वर्ष

नोट—लिपिक के पद पर प्रोन्नति से सम्बन्धित अन्य काइटेरिया जो "बिहार बोर्ड्स मिसलेनियस रूल्स" तथा अन्य इससे सम्बन्धित नियम का अनुसरण करते हुए ही विचार किया जायगा।

## (५) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा—

पद ।	उच्चतर पद ।	प्रोन्नति के लिए सेवावधि ।
१। अंकेक्षक (१३०—२२५)।	वरीय अंकेक्षक वर्ग २ (२००—३५०)।	
२। वरीय अंकेक्षक वर्ग २ (२००—३५०)।	वरीय अंकेक्षक वर्ग १ (२३०—४५०)।	६ वर्ष
३। वरीय अंकेक्षक वर्ग १ (२३०—४५०)।	सहायक लेखा नियंत्रक (२६०—६५०)।	
४। सहायक लेखा नियंत्रक (२६०—६५०)।	उप-लेखा नियंत्रक (३२५—६२५)।	८ वर्ष

२। इस संबंध में अनुरोध है कि जिन विभागों से कालावधि निर्धारण की अनुमति अभी तक नहीं भेजी गई है, अविलम्ब भेजने की कृपा करें।

विश्वासभाजन,  
ठाकुर प्रसाद,  
सरकार के उप-सचिव।

पत्र संख्या ३/एस २-१११/७१-का—१०७६५

बिहार सरकार  
कार्मिक विभाग

प्रेषक

श्री ठाकुर प्रसाद,  
उप-सचिव,

सेवा में

सभी विभाग के सचिव,

सभी विभागाध्यक्ष

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-१५, दिनांक १२ जून १९७२

विषय—सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षण (रिजर्वेशन)—कालावधि का निर्धारण।

प्रसंग—(१) इस विभाग के संकल्प संख्या ६२७७-नि०, दिनांक २९ मई १९७१।

(२) कालावधि निर्धारण संबंधी आदेश—

संख्या ३३३३-नि०, दिनांक २२ फरवरी १९७२।

संख्या ५६६३-गि०, दिनांक ६ अप्रैल १९७२।

संख्या ८७६७-नि०, दिनांक १३ मई १९७२।

महाजय

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंग की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि सरकारी सेवा की किसी कोटि के पद पर प्रोन्नति के लिए उससे ठीक निम्न स्तर कोटि के पद में कालावधि निर्धारण के संबंध में कुछ और विभागों से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :—

१. सहकारिता विभाग के प्रभासी नियंत्रण के अधीन सेवा।

क्रम सं०	पद	उच्चतर पद	प्रोन्नति के लिए सेवा-अवधि
१	पर्यवेक्षक, सहयोग समिति (१०५—१५५ रु०)	निरीक्षक, सहयोग समितियां (१६०—२०० रु०)।	८ वर्ष
२	निरीक्षक, स० स० (१६०—२००)	सहायक निबंधक, सहयोग समितियां, (२६०—६५०)।	८ वर्ष
३	सहायक निबंधक, स० स० (२६०—६५० रु०)	जिला सहकारिता पदाधिकारी (३२५—६८५ रु०)।	६ वर्ष
४	जिला सहकारिता पदाधिकारी (३२५—६८५ रु०)।	उप-निबंधक, स० स० (४५०—१,१६० रु०)	५ वर्ष
५	उप-निबंधक, स० स० (४५०—१,१६०)।	संयुक्त निबंधक, स० स० (६००—१,४०० रु०)।	६ वर्ष

क्रम सं० ।	पद ।	उच्चतर पद ।	प्रोन्नति के लिए सेवा-अवधि ।
६	स्थानीय अक्षेपक, सहयोग समितिर्वा, (११५—२२५ रु०)	सहायक अक्षेपक, स० स० (२००—४०० रु०) ।	८ वर्ष
७	सहायक अक्षेपक, स० स० (२००—४०० रु०)	वरीय अक्षेपक, स० स० (२३०—४५० रु०) ।	६ वर्ष
८	वरीय अक्षेपक, स० स० (२३०—४५०)	जिला अक्षेपण पदाधिकारी, स० स० (२९०—६५० रु०) ।	८ वर्ष
९	जिला अक्षेपण पदाधिकारी, स० स० (२९०—६५०) ।	उप-मुख्य अक्षेपक (४५०—१,१६० रु०) ।	६ वर्ष

२. श्रम एवं नियोजन विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा ।

क्रम सं० ।	पद ।	उच्चतर पद ।	प्रोन्नति के लिए सेवा-अवधि ।
१	श्रम पदाधिकारी	अधीक्षक	६ वर्ष
२	श्रम अधीक्षक	सहायक श्रमायुक्त	६ वर्ष
३	सहायक श्रमायुक्त	उप-श्रमायुक्त	४ वर्ष
४	अधीक्षक	क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी	७ वर्ष
५	क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी	प्रवर कोटि के प्राचार्य	३ वर्ष
६	अधीक्षक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	प्रवर कोटि के प्राचार्य	१० वर्ष

३. निबंधन विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा ।

क्रम संख्या ।	पद ।	उच्चतर पद ।	प्रोन्नति के लिए सेवा-अवधि ।
१	निम्नवर्गीय लिपिक (१०५—१५५ रु०)	उच्चवर्गीय लिपिक (१५०—२०० रु०)	१० वर्ष
२	उच्चवर्गीय लिपिक (१५०—२०० रु०)	प्रवर कोटि लिपिक (२००—३०० रु०)	५ वर्ष

(अगर इससे कम अवधि में नैर हरिजन/नैर-आदिवासी व्यक्ति की प्रोन्नति होती है तो हरिजनों / आदिवासियों की भी प्रोन्नति हो सकती है ।)



## (६) शिक्षा विभाग के प्रशासी नियन्त्रण के अधीन सेवा

क्रम सं०	पद	उच्चतर पद	प्रोन्नति के लिए सेवा- अवधि
१	अवर-शिक्षा सेवा निम्न श्रेणी	.... अवर-शिक्षा सेवा उच्च श्रेणी	१० वर्ष
२	अवर-शिक्षा सेवा उच्च श्रेणी	.... बिहार शिक्षा सेवा वर्ग २	८ वर्ष
३	बिहार शिक्षा सेवा वर्ग २	.... बिहार शिक्षा सेवा वर्ग १	८ वर्ष
४	बिहार शिक्षा सेवा वर्ग १	.... बिहार शिक्षा सेवा १ के प्रवर कोटि	(विचाराधीन)

## (५) उत्पाद विभाग के प्रशासी नियन्त्रण के अधीन सेवा

क्रम सं०	पद	उच्चतर पद	प्रोन्नति के लिये सेवा अवधि
१	सहायक आयुक्त, उत्पाद	.... उपायुक्त, उत्पाद	.... (विचाराधीन)
२	अधीक्षक, उत्पाद	.... सहायक आयुक्त उत्पाद	....
३	उत्पाद निरीक्षक	.... अधीक्षक, उत्पाद	.... ७ वर्ष
४	उत्पाद अवर-निरीक्षक	.... उत्पाद निरीक्षक	.... १० वर्ष
५	उत्पाद सहायक अवर-निरीक्षक	.... उत्पाद अवर-निरीक्षक	.... १० वर्ष
६	उत्पाद सिपाही	.... उत्पाद सहायक अवर-निरीक्षक	.... १० वर्ष
७	उत्पाद लिपिक	.... उच्चवर्गीय उत्पाद लिपिक	.... ७ वर्ष
८	उत्पाद उच्चवर्गीय लिपिक	.... प्रधान लिपिक	.... ७ वर्ष

२. इस सम्बंध में अनुरोध है कि जिन विभागों से कालावधि निर्धारण की अनुशंसा अभी तक इस विभाग को नहीं भेजी गयी है; अविलम्ब भेजने की कृपा करेंगे। जैसा कि अपाको ज्ञात है सरकारी आदेश है कि जबतक अवधि निर्धारित नहीं होती है प्रोन्नति का प्रश्न स्थगित रखा जाय।

विश्वासभाजन,  
ठाकुर प्रसाद,  
सरकार के उप-सचिव।

पत्र संख्या ३/एन० २-१११/७१का०—११११६

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

प्रेषक

श्री ठाकुर प्रसाद  
सरकार के उप-सचिव,

सेवा में

सभी विभाग के सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी जिला पदाधिकारी।

२६ फेब्रुअरी १९७४ (ग०)

पटना-१५, दिनांक

१६ जून १९७२

विषय - सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिये आरक्षण—कालावधि का निर्धारण।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्र संख्या ३३३३- दिनांक २२ फरवरी १९७२ की कृपिका ( १ ) में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे कहना है कि कार्मिक विभाग के प्रणाली नियंत्रण के अधीन सेवा के सम्बन्ध में सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :-

पद	उच्चतर पद	प्रोन्नति के लिये सेवा अवधि।
( क ) अवर-उप समाहर्ता ( २९०—६५० रु० )	... उप-समाहर्ता ( ३२५—९८५ रु० )	६ वर्ष
( ख ) उप-समाहर्ता ( ३२५—९८५ रु० )	... अनुमंडल पदाधिकारी की सूची	५ वर्ष
( ग ) उप-समाहर्ता ( ३२५—९८५ रु० )	... अवर समाहर्ता ( ६००—१,५०० रु० )	८ वर्ष

बसतें उनका नाम कनीस

प्रवर कोटि की सूची में है

२. अनुरोध है कि इसकी जानकारी संबंधित पदाधिकारियों को कृपया करा दी जाय।

विश्वासभाजन,

ठाकुर प्रसाद,

सरकार के उप-सचिव।

पत्र सं० ३/एस २-१११/७१—१९१०८-का०

बिहार सरकार  
कार्मिक विभाग

प्रेषक,

श्री शिवनाथ संगल,  
सरकार के सचिव,

सेवा में,

सरकार के सभी प्रमुख सचिव  
सरकार के सभी सचिव  
अवर सचिव/सभी विभागाध्यक्ष  
सभी जिला पदाधिकारी

पटना-१५, दिनांक १२ अक्टूबर १९७२

विषय — सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लिए आरक्षण  
कालावधि का निर्धारण

प्रसंग—१— (क) इस विभाग का संकल्प संख्या १२७७-नि० दिनांक २९ मई १९७१  
(ख) इस विभाग का संकल्प संख्या १४४२५-नि०, दिनांक २३ अगस्त १९७१

२. कालावधि निर्धारण सम्बन्धी आदेश—

- (क) संख्या ३३३३-नि०, दिनांक २२ फरवरी १९७२  
(ख) संख्या ५९९३-नि०, दिनांक ६ अप्रैल १९७२  
(ग) संख्या ८७९७-नि०, दिनांक १३ मई १९७२  
(घ) संख्या १०७९५-नि०, दिनांक १२ जून १९७२  
(ङ) संख्या ११११६-का०, दिनांक १६ जून १९७२

महास्य,

निदेशानुसार उपयुक्त विषयक प्रासंगिक आदेशों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि सरकारी सेवा की किसी कोटि के पद पर प्रोन्नति के लिए उससे ठीक निम्नतर कोटि के पद में कालावधि निर्धारण के संबंध में कुछ विभागों में ऐसी शंका उत्पन्न हुई है कि उपयुक्त आदेशों में प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ निर्धारित सेवा अवधि केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति पर ही लागू है अथवा सभी गैर-अनुसूचित जातियों पर भी।

२. इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना है कि उपयुक्त कालावधि निर्धारण सम्बन्धी आदेश सभी पर एक समान लागू होता है लेकिन जब ऐसी स्थिति आए कि निर्धारित कालावधि से कम अवधि में ही रिक्तियां उपलब्ध हों और किसी गैर-अनुसूचित जाति, गैर-अनुसूचित जन-जाति को कम अवधि में ही प्रोन्नति देकर रिक्ति को भरना पड़े तो वैसी स्थिति में अनुसूचित जाति, जन-जाति के कেস पर भी समरूप से विचार किया जायगा। दृष्टांत के लिए सचिवालय के निम्नवर्गीय सहायक को उच्चवर्गीय सहायक के कुछ पद पर प्रोन्नति देने के लिये = वर्षों की सेवा अवधि निर्धारित की गयी है। उच्चवर्गीय सहायक के कुछ पद रिक्त हैं और एक गैर-अनुसूचित जाति गैर-अनुसूचित जन-जाति निम्नवर्गीय सहायक-उच्चवर्गीय विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं तथा सेवा अभिलेख के आधार पर प्रोन्नति के योग्य पाये जाते हैं, लेकिन निम्नवर्गीय सहायक के रूप में उनकी सेवा अवधि निर्धारित सेवा अवधि से कम है। ऐसी स्थिति में उसे निम्नवर्गीय सहायक के पद पर प्रोन्नति दी जा सकती है। लेकिन उसी अवधि के प्रोन्नति पाने योग्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति सहायक के कেস पर भी समरूप से विचार होगा।

३. अनुरोध है कि अपने विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सभी नियुक्ति पदाधिकारियों को इसकी जानकारी कर दी जाय।

४. यह भी अनुरोध करना है कि प्रत्येक विभाग अपने विभाग की भर्ती नियमावली में इस सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन करे।

विश्वासभाजन,  
शिवनाथ संगल  
सरकार के सचिव।

पत्र सं० ३/एस २-१११/७१-का०—२२२२४।

बिहार सरकार

कामिक विभाग

प्रेषक

श्री ठाकुर प्रसाद,  
सरकार के उप-सचिव,

सेवा में,

सभी विभाग के सचिव

सभी विभाग-माध्यम,

पटना-१५, दिनांक २३ दिसम्बर १९७२।

विषय— सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षण कालावधि का निर्धारण।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्र संख्या ३३३३-नि०, दिनांक २२ फरफरी, १९७२ की कंडिका (२) (ग) में आंशिक संशोधन एवं परिवर्तन करते हुए मुझे कहना है कि सचिवालय स्थित निगन्धक के पद पर प्रोन्नति देने के संबंध में सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :—

पद।	उच्चतर पद।	प्रोन्नति के लिए सेवा अवधि।
(ग) प्रशाखा पदाधिकारी (२९०—६५० रु०)	निगन्धक (३००—७५० रु०)	प्रोन्नति में सुयोग्य व्यक्ति की वरीयता का ध्यान करते हुए प्रोन्नति दी जाए, किन्तु अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के उम्मीदवार को प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर कम से कम ५ वर्षों का अनुभव अनिवार्य होगा।

२। अनुरोध है कि इसकी जानकारी सम्बन्धित पदाधिकारियों को कृपया करा दी जाए।

विश्वासभाजन,  
ठाकुर प्रसाद  
सरकार के उप-सचिव।

संख्या ३।एस-२-१०६०।७२—१८३०३-का०।

बिहार सरकार,  
कार्मिक विभाग

व्ययक

श्री पी० के० जे० मेनन,  
मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में

सभी विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव

सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी

१७ अग्रहण, १८९८ (श०)  
पटना-१५, दिनांक

= दिसंबर, १९७३।

विषय—सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षण पुनरीक्षित कालावधि का निर्धारण।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संकल्प सं० ९२७७-नि०, दिनांक २९ मई, १९७१ (प्रति संलग्न) की कंडिका ४ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि सरकारी सेवा की किसी कोटि के पद पर प्रोन्नति के लिए उसके ठीक निम्नस्तर कोटि के पद में कम-से-कम कितने वर्षों की सेवा आवश्यक समझी जाय, इस सम्बन्ध में कुछ विभागों की अनुशंसा पर कालावधि का निर्धारण किया गया, अग्री तक अनेक विभागों से अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है।

२. अवधि निर्धारण का अभिप्राय है कि ऐसा न हो कि कोई सरकारी सेवक समुचित अनुभव प्राप्त किये बिना किसी ऐसे उच्चतर पद पर प्रोन्नति पा जाए जिसका उत्तरदायित्व संभालने में वह असमर्थ हो। इस सम्बन्ध में जितने आदेश निर्गत हुए हैं उन्हें देखने से पता चलता है कि किसी विभाग में प्रोन्नति के लिए निर्धारित सेवा अवधि बहुत लम्बी है, तथा कई विभागों ने जो अवधि निर्धारित की है उसके लिए पूर्ण जीवित्य नहीं है। अतः अवधि निर्धारण संबंधी आदेश में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए फिर से विचार करना आवश्यक है ताकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के सरकारी कर्मचारियों को प्रोन्नति में आरक्षण का उचित लाभ मिल सके।

३. अनुरोध है कि अपने विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवाओं के सम्बन्ध में पुनरीक्षित अनुशंसा कार्मिक विभाग को एक महीने के अन्दर अवश्य भेज दें। पदाधिकारियों के नाम के साथ वर्तमान वेतनमान भी अंकित कर दें।

इसे श्रयावश्यक समझें।

विश्वासभाजन,  
पी० के० जे० मेनन,  
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार

कामिक विभाग

प्रेषक  
श्री कीर्ति नारायण,  
सरकार के उप-सचिव,  
सभी विभाग के सचिव  
सभी विभागाध्यक्ष  
सभी जिला पदाधिकारी।

२४ आश्विन १९९६ (श०)  
पटना-१५, दिनांक  
१६ अक्टूबर १९७४

विषय—सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जानेवाले पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिये आरक्षण  
(Reservation) कालावधि का निर्धारण  
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्र संख्या ३/एस २-१११/७१—२०७०-का०, दिनांक १३ मई १९७२ की कड़िका (२) में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे कहना है कि योजना (सांख्यिकी एवं मूल्यांकन) विभाग के प्रशासी नियंत्रण के अधीन सेवा के संबंध में सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :—

पद	उच्चतर पद	प्रोन्नति के लिए सेवा-अवधि
१. प्रवेशिकोत्तीर्ण अमीन.... (१९०—२४४०)	.... कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक ... (२२०—३१५ रु०)	.... ४ वर्ष
२. कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक (२२०—३१५ रु०)	.... संकलक ....	.... ४ वर्ष
३. संकलक/सौटर .... (२४०—३९६ रु०)	.... कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक (२९६—४६० रु०)	.... ४ वर्ष
४. कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक (२९६—४६० रु०)	.... बरीय सांख्यिकी सहायक ... (३३५—५५५ रु०)	.... ४ वर्ष
५. बरीय सांख्यिकी सहायक (३३५—५५५ रु०)	.... सांख्यिकी पर्यवेक्षक .... (४००—६६० रु०)	.... ४ वर्ष
६. सांख्यिकी पर्यवेक्षक .... (४००—६६० रु०)	.... जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सांख्यिकी पदाधिकारी (४५५—८४० रु०)	.... ४ वर्ष
७. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/सांख्यिकी पदाधिकारी (४५५—८४० रु०)	.... सहायक निदेशक .... (५१०—१,१५५ रु०)	.... ५ वर्ष
८. सहायक निदेशक .... (५१०—१,१५५ रु०)	.... उप-निदेशक .... (६२०—१,४१५ रु०)	.... ५ वर्ष
९. उप-निदेशक .... (६२०—१,४१५ रु०)	.... संयुक्त निदेशक .... (१,०६०—१,६८० रु०)	.... ५ वर्ष

विश्वासभाजन,  
कीर्ति नारायण,  
सरकार के उप-सचिव।